भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2157

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2024, 14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

कर संबंधी चिंताएं

2157. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2019 में मूल कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भागीदारी फर्मों, एचयूएफ औक एकल व्यक्तियों के लिए भी इसे कम करने की कोई योजना है;

(ग) क्या वित्त अधिनियम, 2023 की धारा 43बी(एच) के संबंध में विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र और उद्योगों से कई चिंताएं व्यक्त की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इसे हटाने अथवा निर्दिष्ट समय-सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है क्योंकि 45 दिनों की समय-सीमा अव्यावहारिक लगती है, विशेषकर उन मामलों में जहां कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर तैयार माल के निर्माण में 180 दिनों से अधिक समय लगता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(च) क्या शॉल के लिए अलग-अलग जीएसटी दरें हैं, अर्थात् 1000 रुपये तक 5 प्रतिशत और 1000 रुपये से ऊपर 12 प्रतिशत की दर है; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार शॉल के लिए भी एकल जीएसटी दर कार्यान्वित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(**क**) **से** (**ख**): वित्त वर्ष 2019-20 से सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर व्यवस्था शुरू की गई थी, यदि वे किसी निर्दिष्ट छूट या प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।

भागीदारी फर्मों, एकल व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) सहित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आय पर कराधान की दरों को प्रत्येक वर्ष की बजटीय प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम रूप दिया जाता हैं और संबंधित वर्ष के लिए वित्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाता हैं। भागीदारी के लिए दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2021-22 से, एकल व्यक्ति और एचयूएफ आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 115BAC के तहत रियायती कराधान व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। कुछ शर्तों के अधीन कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे निर्दिष्ट कर छूट या कटौती का लाभ न उठाए।

इन दरों को कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से और कम कर दिया गया है तथा कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए इन्हें डिफ़ॉल्ट दरें बना दिया गया है। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 ने अब कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से नई कराधान व्यवस्था में दी गई स्लैब संरचना में आगे और परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है।

(ग) से (ङ): अधिनियम की धारा 43बी के खंड (एच) के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। वित्त अधिनियम 2023 के तहत, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी में खंड (एच) को जोड़ा गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को करदाता द्वारा देय कोई भी राशि केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में दी जाए। यदि भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत अनिवार्य समय के भीतर किया जाता है तो इसे प्रोद्भवन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। इस उपाय का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 43बी के खंड (एच) के प्रावधान एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के मौजूदा प्रावधानों का पालन करते हैं

(च): जी हां, बुने हुए या क्रोशिया से बने शॉल**,** जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपये प्रति पीस से अधिक नहीं है**,** उन पर 5**%** जीएसटी लगेगा तथा यदि विक्रय मूल्य 1000 रुपये प्रति पीस से अधिक है तो 12**%** जीएसटी लगेगा।

(छ): जी नहीं, जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं जो संघ और राज्य**/**संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से मिलकर बनी एक संवैधानिक संस्था है।

*****